

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शिवगंज, जिला सिरोही

क्रमांक/भू.राजस्व/क.रा./2025/

493

दिनांक:- 25.08.2025

--:आदेश:-

यतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130, 131 एवं 136 सपटित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार कदीमी रास्ते को सा0नि0विभाग शिवगंज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का एक प्रस्ताव तहसीलदार शिवगंज के पत्रांक/राजस्व/2025/1438 दिनांक 22.08.2025 द्वारा हाजा कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित कदीमी रास्ते का विवरण निम्न अनुसार है:-

क्र. सं.	ग्राम कुकडीखेडा के खसरा नम्बर	निजी/राजकीय	खसरा नम्बर से गुजरने वाले रास्ते की लम्बाई व चौड़ाई	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	अन्य कोई विशेष विवरण
1	28/77	राजकीय	0.1457 हैक्टर	0.1457 हैक्टर	-
2	40/94	राजकीय	0.2833 हैक्टर	0.2833 हैक्टर	-
3	40/1	राजकीय	9.3078 हैक्टर	0.0566 हैक्टर	-
4	40/117	राजकीय	3.1970 हैक्टर	0.1619 हैक्टर	-
5	40/96	राजकीय	2.1691 हैक्टर	0.0566 हैक्टर	-
6	40/104	राजकीय	2.0639 हैक्टर	0.0566 हैक्टर	-
7	40/103	राजकीय	0.5180 हैक्टर	0.1456 हैक्टर	-
8	40/102	राजकीय	0.7770 हैक्टर	0.0404 हैक्टर	-

क्र. सं.	ग्राम बादला के खसरा नम्बर	निजी/राजकीय	खसरा नम्बर से गुजरने वाले रास्ते की लम्बाई व चौड़ाई	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा	अन्य कोई विशेष विवरण
1	131/153	राजकीय	33.8398 हैक्टर	0.9712 हैक्टर	-

यतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130, 131 एवं 136 सपटित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की शक्तियां लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर को प्रदत्त है। लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई हैं।

अतः लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की शक्तियों के अन्तर्गत उक्त कदीमी रास्ते को तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट व ग्राम पंचायत की मांग के अनुसार सा0नि0विभाग शिवगंज के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार, शिवगंज उक्त प्रस्तावित कदीमी रास्ते (ग्राम कुकडीखेडा से ग्राम बादला जाने वाले रास्ते) को मुताबिक मौका राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130, 131 एवं 136 सपटित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार अंकन कर अनुपालना रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि उक्तानुसार प्रस्तावित कदीमी रास्ता मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड अनुसार मौके पर प्रतिबंधित श्रेणी या वन विभाग की भूमि से होकर गुजर रहा है तो मुताबिक मौका राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से तितम्बा काटकर अलग खसरा संख्या प्रदर्शित कर खसरे की भूमि किस्म में बिना किसी प्रकार का परिवर्तन किये राजस्व रिकॉर्ड में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130, 131 एवं 136 सपटित राजस्थान भू-राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार अंकन कर अनुपालना रिपोर्ट अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- कदीमी रास्ते के स्वीकृत प्रस्ताव का नक्शा।

उपखण्ड अधिकारी, R.A.S.)
शिवगंज, सिरोही, शिवगंज
दिनांक:- 25.08.2025

क्रमांक/भू.राजस्व/क.रा./2025/

493

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सिरोही को सूचनार्थ।
2. तहसीलदार, शिवगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज, सिरोही